

(10) स्वतंत्रता के 75 वर्षों बाद, समाज के समग्र दिन और परिवर्तनशील संवेधानिकता हो आगे बढ़ने के लिए भारत की आरक्षण प्रणाली को <sup>निर्यात</sup> ~~निर्यात~~ मर्यादा को जा रही है। सामाजिक न्याय और समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए आरक्षण नीति की पुनः समीक्षा का सामाजिकन्याय विभाग कीर्तित।

3. भारतीय संविधान के अनुच्छेद - 15(4) एवं 16(4) में राज्य को यह शक्ति दी गई है कि वह नागरिकों के 'फिन्नी कर्न' को राज्य के अधीन नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए अपबंध कर सकेगा। आरक्षण का आधार अपर्णाप्त प्रतिनिधित्व अथवा पिछड़ापन हो सकता है।

आरक्षण का मूल उद्देश्य है वंचित वर्गों का संरक्षण। ताकि संबंधित वर्ग के लोग अपने मूल अधिकार 'समानता का अधिकार' को पा सकें। भारतीय संविधान में आरक्षण की अवधारणा परिवर्तनशील रही है जो निम्नलिखित है -

(i) अनुच्छेद - 15(4) :- सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति हेतु राज्य विशेष प्रावधान कर सकेगा।

(ii) अनुच्छेद - 16(4) :- अपर्णाप्त प्रतिनिधित्व की स्थिति में राज्य, पिछड़े हुए नागरिकों के डिस्क्रिमीनेशन के लिए विशेष प्रावधान कर सकेगा।

(iii) अनुच्छेद - 16(6) :- आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) के लिए आरक्षण का प्रावधान। इसे 103वें संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया है।

समय-समय पर आरक्षण पर पुनर्विचार की मांग की जाती रही है। इससे पता चलता है कि भीषण होना है, अपने-अपने तर्क देखा जाता है। कि भी

सर्वोच्च न्यायालय सहित, एड का की आरक्षण नीति की समीक्षा के पक्ष में हैं क्योंकि -

(i) प्रभावशीलता की जाँच :- लगभग 75 वर्षों से चली आ रही इस नीति की प्रभावशीलता इतनी है यह जानना आवश्यक है।

(ii) पर्याप्त प्रतिनिधित्व का अभाव :- प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए लाख लाख आरक्षण ने संबंधित वर्ग के प्रभुत्वशाली लोगों का ही प्रतिनिधित्व बढ़ाया है। यही कारण है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति में भी उपकीर्ण का सुझाव दिया गया।

(iii) निष्पक्षता की व्यवस्था नहीं :- जो जाति/प्रायश्चित्त प्रतिनिधित्व पा चुकी हैं एवं सम्पन्न हो चुकी हैं उन्हें बाहर करने का प्रावधान नहीं है।

आरक्षण की सबसे बड़ी खामी यही है क्योंकि संस्था की अन्य वर्ग के अधिकार का हनन करता है।

(iv) महिलाओं हेतु प्रावधान की उम्र :- महिलाएँ 'पिछड़ी' में भी 'पिछड़ी' की श्रेणी में आती हैं साथ ही अपनी आवाही का हिस्सा होते हुए भी इनके लिए अन्तर्गत प्रावधान नहीं है।

अथवा पिछड़े जाति के कुछ वर्गों द्वारा महिलाओं के लिए दृष्टीगत आरक्षण की व्यवस्था है लेकिन यह संसद पर तथा बड़े पैमाने पर नहीं है।



प्रहारि आरक्षण नीति समीक्षा की मांग  
करती हैं जैडिन इसके लिए निम्नलिखित तथ्यों पर  
ध्यान दें इसका आवश्यक है—

(क) समावेशीकरण :- आरक्षण से समीक्षा का उद्देश्य समावेशीकरण होना चाहिये ताकि पिछड़े लोग समाजता से मुक्त तब आ सके।

(३१) सामाजिक न्याय :- सामाजिक न्याय भारतीय संविधान का मूल <sup>मंत्र</sup> प्रज्ञा है। अतः समीक्षा के रूप में सामाजिक न्याय की अवहेलना नहीं होनी चाहिये।

(ग) राजनीति उद्योग से बचना :- आदर्श रूप में संवेदनशील  
 मुद्रा है। अतः आदर्श राजनीति नका-मुसल  
 है। उद्योग नहीं करके पिछड़ापन तथा 'प्रतिनिधित्व  
 का अभाव' से आचार पर रूख नहीं चाहिए।

मानना है कि आदरणीय श्री समीक्षा की आश्रय दत्ता  
नहीं है क्योंकि :-

(i) यह सब नए विवादों का जन्म देगा जो भारतीय  
तनाव और आपाखिड़ संदर्भावों से विवादित हो  
सकता है।

(ii) नित नए-नए समूह आसक्या ही मांग बढ़ेंगी और संतुल्य तथा कोटेशन के हिसाब में खरीदी-विक्री का ~~अवसर~~ अवसर कम हो रहा है सरकार को अधिक मांगों के लिए भी विचार होना पड़ सकता है।

(iii) आरक्षण की मांग का मुख्य कारण है आर्थिक सामाजिक पिछड़ापन और इसे ~~हम~~ <sup>समाजवादी</sup> योजनाकारी योजनाओं द्वारा दूर किया जा सकता है।

(iv) शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार विकास तथा दौलतगार जैसे तत्वों से पहुंच होने के बाद आरक्षण की मांग स्वतः समाप्त हो जाएगी।

निष्कर्षतः, आरक्षण सब संरक्षणशील मुद्दा है इसलिए इसे, सतर्कता के साथ, आप सहमति से, <sup>आर्थिक</sup> समावेशी तथा <sup>आर्थिक</sup> न्यायपूर्ण बनाए जाने की आवश्यकता है।